



झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड राज्य अन्तर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र- 2026-27 में कक्षा-6
(छह) में नामांकन हेतु विज्ञापन :-

1. झारखण्ड राज्य अन्तर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में कक्षा-6 (छह) में नामांकन हेतु JHARKHAND ASHRAM & EKLAVYA VIDYALAYA EDUCATION SOCIETY (JAEVES) की ओर से इस विज्ञापन का प्रकाशन किया जा रहा है।
2. कक्षा-6 (छह) में नामांकन NESTS के पत्रांक-1952, दिनांक-08.12.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गए Guidelines के आधार पर चयन परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।
3. प्रमण्डलीय उप-निदेशक, कल्याण, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची द्वारा उक्त Guidelines के आधार पर परीक्षा का आयोजन, संचालन एवं अन्य कार्रवाई की जाएगी।
4. नामांकित होने वाले सभी छात्र-छात्राओं को सरकार के द्वारा आवासन, भोजन, पठन-पाठान सामग्री, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सारी सुविधाएँ निः शुल्क दी जाती है।
5. **रिक्ति की संख्या:-** झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित कुल-51 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (अनुलग्नक-1) में प्रत्येक विद्यालय की कक्षा-6 (छह) हेतु 60 विद्यार्थी का चयन किया जाएगा, जिसमें छात्र एवं छात्राओं की संख्या बराबर-बराबर (30:30) होगी।
6. **नामांकन हेतु अर्हता:-**

सामान्य अर्हता:-

(क) सिर्फ झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी/मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।

(ख) झारखण्ड राज्य के सिर्फ कक्षा-5 (पाँच) में अध्ययनरत छात्र-छात्रा ही आवेदन कर सकते हैं।

नोट:- वैसे छात्र-छात्रा जो झारखण्ड राज्य के कक्षा-5 (पाँच) में अध्ययनरत नहीं हैं, वे आवेदन करने की पात्रता नहीं रखते हैं।

(ग) ऐसे छात्र-छात्रा जो विद्यालय में अध्ययन न कर घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में उनके माता-पिता/अभिभावक को इस संबंध में एक स्वघोषणा पत्र समर्पित करना होगा।

7. उम्र सीमा:—

कक्षा	31 मार्च 2026 को न्यूनतम आयु	31 मार्च 2026 को अधिकतम आयु
VI	10 वर्ष	13 वर्ष

नोट:—दिव्यांग छात्र-छात्राओं को अधिकतम उम्र सीमा में दो वर्ष की छूट होगी।

8. आरक्षण:— प्रत्येक विद्यालय में 60 सीटों के लिए निम्नरूप से आरक्षण का प्रावधान होगा:—

आरक्षण सारणी						
क्र०	आरक्षण कोटि	(i) प्रतिशत में (60) सीटों के लिए	(ii) विशेष श्रेणी के लिए कुल सीट (i) का 60 सीट	60 सीटों में से		
				(iii) प्रखण्ड (50%) (ii) का 50%	(iv) जिला (30%) (ii) का 30%	(v) राज्य (20%) (ii) का (20%)
1	अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्रा	80%	48	24	15	09
2	PVTG समुदाय के छात्र-छात्रा	5%	3	2	1	0
3	DNT/NT/SNT समुदाय के छात्र-छात्रा	5%	3	2	1	0
4	(A) वैसे छात्र-छात्रा जिन्होंने अपने माता-पिता को LWE/insurgencies/ Covid में खोया हो	7%	4	2	2	0
	(B) विधवाओं के बच्चे					
	(C) दिव्यांग माता-पिता के बच्चे, अन्य-जमीन दाता, अनाथ बच्चे					
5	जमीन दाता *	3%	2	1	1	0
	कुल	100	60	31	20	09

नोट:— 1. PVTG- PARTICULARLY VULNERABLE TRIBAL GROUP, DNT-DENOTIFIED TRIBES, NT-NOMADIC TRIBES, SNT-SEMI-NOMADIC TRIBES, LWE-LEFT WINGS EXTREMISM

2. जमीन दाता के बच्चे जिस विद्यालय के लिए जमीन दिए हैं, उसी विद्यालय में उनका नामांकन हेतु आरक्षण देय होगा।

3. दिव्यांग बच्चों के लिए 5% अर्थात् 02 सीट अनुसूचित जनजाति एवं 01 सीट अन्य आरक्षण कोटि से आरक्षित किया जाएगा।

9. **परीक्षा का विषय:-** परीक्षा की अवधि 02 घंटे की होगी। उक्त परीक्षा में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 अंक के होंगे:-

TYPE OF TEST	NUMBER OF QUESTIONS	MARKS
Mental ability test	50	50
Arithmetic Test	25	25
Language Test (Hindi or English)	25	25
Total	100	100

नोट:- परीक्षा OMR Sheet के माध्यम से ली जायेगी, उत्तर सामाग्री को (Black or Blue) बॉल प्वाइंट पेन से भरना होगा।

10. **पंजीयन प्रपत्र (Registrartion form) प्राप्त करने का स्थान:-** एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के कक्षा-6 (छह) में नामांकन हेतु विद्यार्थी/आवेदक, पंजीयन प्रपत्र (Registrartion form) निम्न स्थान से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं:-

- (क) प्रत्येक जिला का जिला कल्याण कार्यालय
- (ख) प्रत्येक जिला का समेकित जनजातीय विकास अभिकरण कार्यालय
- (ग) प्रत्येक जिला में अवस्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
- (घ) प्रखण्ड मुख्यालय में प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी का कार्यालय

11. **पंजीयन प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि- दिनांक-10/02/2026**

नोट:- कक्षा 5 (पाँच) में अध्ययनरत छात्र-छात्रा इस विज्ञापन के साथ संलग्न Registrartion प्रपत्र (अनुलग्नक-2) में अपना पंजीयन प्रपत्र दिनांक-10/02/2026 तक भर कर जिला कल्याण कार्यालय में जमा कर सकते हैं। उक्त अंतिम तिथि के पश्चात् कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आवेदक संलग्न पंजीयन प्रपत्र (Registrartion form) को भरकर अपने जिले के जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यालय अवधि में जमाकर पावती प्राप्त कर लेंगे। छात्र-छात्रा डाक के माध्यम से भी अपने जिला स्थित जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन भेज सकेंगे।

12. **चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करने की तिथि/स्थान:-** जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी प्रखण्डवार सारणी तैयार करते हुए एवं तिथि निर्धारित कर अखबार एवं सूचना पट के माध्यम से

प्रचार-प्रसार करेंगे। साथ ही छूटे हुए छात्र-छात्राओं को प्रवेश पत्र प्राप्त करने हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी प्रचार-प्रसार हेतु हर सम्भव प्रयास करेंगे।

13. परीक्षा की तिथि एवं समय:- दिनांक-08.03.2026 (रविवार)
समय पूर्वाहन् 11:00 से 01:00 बजे तक

14. परामर्श (Counselling) के समय प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र:-

- (क) स्थानीयता से संबंधित प्रमाण पत्र।
- (ख) उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र।
- (ग) आरक्षण कोटि से संबंधित प्रमाण पत्र।
- (घ) आधार कार्ड।
- (ङ) कक्षा पाँच में अध्ययन करने संबंधी प्रमाण पत्र।
- (च) विद्यालय में अध्ययन नहीं करने वाले विद्यार्थी के अभिभावक द्वारा स्वघोषणा पत्र।

आदिवासी कल्याण आयुक्त-सह-
सदस्य सचिव, JAEVES